परिपत्र सं0 विधि–1(2)/उच्चस्तरीयनिपटान (2012–13)/**895**/1213050 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:: सितम्बर **13**, 2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर उ0प्र0।

———————————————

fo"k; % lo/Jh mRrj in'k foRrh; fuxe] dkuij }kjk viu _.kk dh olyh grq _.kh vk|kfxd bdkb;k dh e'khujh@l;= dh uhykeh ij dj vkjki.k dk lc/k eA

सर्वश्री उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा वाणिज्य कर विभाग के समक्ष उपर्युक्त विषय में निम्न दो बिन्दुओं के सम्बन्ध में उत्पन्न समस्या इंगित की गई थी :–

%iFke fcUn%& व्यापार कर विभाग औधोगिक इकाइयों पर देय व्यापार कर बकाये की वसूली करने की प्रक्रिया में औधोगिक इकाइयों की ऐसी परिसम्पत्तियों को भी जो निगम के पक्ष में बंधक है, नीलामी करके अपने देयों की वसूली करता है।

%f}rh; fcUn%& निगम द्वारा अपने ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में ऋणी औधोगिक इकाइयों की मशीनरी/संयत्र की नीलामी करने पर व्यापार कर विभाग निगम को "व्यापारी" मानकर सम्बन्धित मशीनरी/संयंत्र के विक्रय मूल्य पर व्यापार कर निर्धारित करता है।

इन उपरोक्त विवादग्रस्त बिन्दुओं को इस कार्यालय के पत्र संख्या–विधि–1(1) एम–1(94–95)/930/व्यापार कर दि0 24.09.1994 से मामला शासन को सन्दर्भित किया गया था। शासन ने अपने अर्द्ध शा0प0सं0–व्या0–कर –2–434/11– 95–9(4)(95) दि0 10. मार्च, 1995 से अवगत कराया था कि "उक्त दोनो बिन्दुओं पर न्याय विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया है। न्याय विभाग द्वारा प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में शासन को यह परामर्श दिया गया है कि व्यापार कर विभाग औद्यौगिक इकाइयों पर देय व्यापार कर बकाये की वसूली निगम के पक्ष में बंधक परिसम्पत्तियों से भी कर सकता है। द्वितीय बिन्दु के सम्बन्ध में न्याय विभाग द्वारा शासन को यह परामर्श दिया गया है कि उ0प्र0 वित्त निगम को "व्यापारी" की श्रेणी में रखना विधिनुकूल नहीं है। शासन से प्राप्त उक्त दोनों अभिमत को संयुक्त रूप से मुख्यालय के परिपत्र संख्या विधि–1(1)–एम–1–(93–94)–37/व्यापार कर दि0 22.04.95 से फील्ड के अधिकारियों को जानकारी देने हेतु प्रसारित किया गया था, **dk lUnHk xg.k dju dk d"V djA**

इसी सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि सर्वश्री उत्तर प्रदेश फाइनेन्सियल कारपोरेशन कानपुर द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 में सर्वश्री आदर्श पैपियर फैब्रिक्स लि0, 09 कि0मी0 भोपा रोड, मुजफ्फरनगर को रुपया- 3.91 करोड़ की प्लान्ट एवं मशीनरी की बिक्री की गयी है जिस पर कोई प्रान्तीय कर जमा नहीं किया गया है। उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर कि **"इस विक्रय धन पर कर लगने से छूट गया है"** डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) खण्ड-14 व्यापार कर, कानपुर ने पुन: कर निर्धारण हेतु व्यापार कर अधिनियम की धारा-21(2) के परन्तुक के अन्तर्गत एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, व्यापार कर कानपुर जोन, कानपुर से अनुमति प्राप्त कर व्यापार कर अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत दिनांक 30-12-2006 को कारपोरेशन पर इस आशय की

नोटिस निर्गत की गयी कि क्यों न व्यापार कर अधिनियम की धारा-21 के अन्तर्गत इस संबंध में पुन: कर निर्धारण किया जाए । इस नोटिस दिनांक 30-12-2006 से क्षुब्ध होकर सर्वश्री उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन कानपुर ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-133/2007, सर्वश्री उत्तर प्रदेश फाइनेन्सियल कारपोरेशन कानपुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य दायर की गयी । मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने निर्णय दिनांक 06-09-2010 में प्रकरण को निपटान समिति के समक्ष प्रस्तुत कर निपटान कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

उक्त प्रकरण को शासन को सन्दर्भित करते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या–विधि–1(2) उच्च स्तरीय निपटान (12–13)/**18**/वाणिज्य कर, दिनांक **08-05-2012** से यह अनुरोध किया गया था कि यू0पी0 फाइनंसियल कार्पोरेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष गिरवी रखी सम्पत्ति, जिसमें मशीनें अर्थात चल सम्पत्ति शामिल है, की नीलामी करके बिक्री की जाती है, जो उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा–2 (क क) के अन्तर्गत व्यापार की परिभाषा में आता है और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उस सम्व्यवहार से कार्पोरेशन को कोई लाभ होता है अथवा नहीं। अतः उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर को व्यापारी की श्रेणी में माना जाना विधि अनुकूल होगा, साथ ही उक्त के संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र विधि 1(1)–एम–1–(93–94)–**37**/व्यापार कर दि0 **22-04-1995** को निरस्त किया जाना उचित होगा।

शासन ने परीक्षणोपरान्त अपने पत्र सं0–344/ग्यारह–2–2012–9(269)/2010 दिनांक 24.08.2012 से यह अवगत कराया है कि मा0 उच्च न्यायालय के नजीर सर्वश्री डिवीजनल सुप्रीटेंडेंट इंजीनियरिंग (सी), नार्दर्न सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद बनाम कमिश्नर व्यापार कर उ0प्र0 लखनऊ (2006) एन0टी0एन0 (वाल्यूम–30)–163 के परिपेक्ष्य में सर्वश्री उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर को "व्यापारी" की श्रेणी में रखा जा सकता है और मा0 उच्चतम न्यायालय की नजीर कमिश्नर आफ सेन्ट्रल एक्साइज, बोलपुर बनाम सर्वश्री रतन मेल्टिंग एण्ड वॉयर इण्डस्ट्रीज (2008) एन0टी0एन0 (वाल्यूम–38)–206 के परिप्रेक्ष्य में इस बिन्दु पर परिपत्र दिनांक 22–04–1995 निष्प्रभावी माना जा सकता है और इसे निरस्त किया जा सकता है।

अतः शासन के उपरोक्त निर्देशों के परिशीलनार्थ उक्त परिपत्र दि0 22.04.1995 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। साथ ही आपसे अनुरोध है कि तदानुसार तथ्य अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

यह परिपत्र कमिश्नर वणिज्य कर उ0प्र0 के आदेश के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

ifrfyfi fuEufyf[kr dk lpukFk ,o vko';d dk;okgh grq if"kr %&

(1)– ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, कानपुर सम्भाग–सी, कानपुर उनके पत्र सं0 2447 दि0 15.02.2011 के सन्दर्भ में शासन के निर्देश दि0 24.08.2012 के परिपेक्ष्य में परिशीलनार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, राजस्व च विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।

(3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।

(4) अध्धक्ष / निबन्धक उत्तर प्रदेश वणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वणिज्य कर अधिकरण वणिज्य कर, उ0प्र0।
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0 / अपील), वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0 / वि0अनु0शा0 / अपील) वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त डिप्टी / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक / उप निदेशक / सहायक निदेशक, वणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।
(9) महालेखाकार, 17 / ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
(11) प्रबन्धक, इसेंटिव पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0 आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त, नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर–10 नोएडा।
(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 / ज्वाइंट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेट कमिश्नर सर्वोच्च न्यायालय (कार्य) गाजियाबाद।
(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 / ग्रेड–2 / ज्वाइंट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) लखनऊ / इलाहबाद।
(17) मैनुअल अनुभाग / सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5–5 तथा 10 प्रतियॉ ।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी, वणिज्य कर, मुख्यालय। **lEcfU/kr i=koyh fof/k&1¼1½&,e&1¼94&95½ e bl ifj i= dh ifr j[kus gsrqA**
(20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।
(21) श्री अधिशसी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी–15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87 / 349 आर्या नगर, संगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुॅज, 66 शास्त्री नगर, लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय वणिज्य कर सलाहकार समिति, 29–बी विधायक निवास दारूलसफ़ा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चैम्बर आफ कामर्स, 14 / 26 सिविल लाइन्स कानपुर।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2 / 302 विकास खण्ड 4 / 180 गोमती नगर, लखनऊ।
(27) पी0एच0डी0 चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1–ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ।
(29) आल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी–4 साइट संख्या–3 मेरठ रोड इन्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद।
(30) कनफेडरेशन आफ इण्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य) के माध्यम से।
(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10–इन्जीनियर्स काम्लेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
(33) शिवकुमार अरोड़ा, अध्यक्ष, दि0 उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
(34) श्री मदन मोहन भरतीया, एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26 / 103 बिरहाना रोड कानपुर।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी, बनारस।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए–5 / 1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।

(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45, चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी।
(39) श्री अशोक धवन सी के–24/1 कुँजगली, वाराणसी।
(40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707 पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0 जैन, 138–ए ब्लाक–ए सेक्टर–27 नोएडा।
(42) श्री ब्रिम चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स फेडरेशन (रजि0), पुल दाल मण्डी, सहारनपुर।
(43) आर0डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0 निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।
(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
(46) श्री इन्डियन इण्ड0एसो0,159/ए–8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर।
(47) श्री अरूण कुमार जैन, चीफ कन्वीनर, टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो0,वेस्टर्न यू0पी0 (पंजी0)जी–3, शान्त कम्पलैक्स, वाणिज्य कर भवन के पास, मंगलपाण्डे नगर मेरठ।
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51–बी उद्योग नगर, कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल, दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3–एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो0 51/58–ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(52) श्री नन्दलाल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर, लखनऊ।
(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ–3, पार्क रोड, लखनऊ।
(54) श्री अरूण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी0–बी–29), विधायक निवास, दारुलशफा, लखनऊ।
(55) श्री माननीय अध्यक्ष, वणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री, आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27–ए मिशन कम्पाउण्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संध, 6/6–ए,उ0 बी0एन0 रोड, अमीनाबाद लखनऊ।
(58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस–2 गोमती नगर, लखनऊ।
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउण्ड, कैसर गंज रोड मेरठ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल(पंजी0) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस।
(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता,एडवोकेट,अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्सबार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)।
(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0 उद्योग व्यापार मण्डल–22/26 आशदेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद।
(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर गली न0–6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ यू0पी0।
(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
(66) श्रीमती इन्दू मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0–51 राजनगर, गाजियाबाद।
(67) श्री बी0एन0 शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पैट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।
(68) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ।
(69) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी–194, सेक्टर–10, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)।
(70) श्री अशोक चावला, अध्यक्ष, उ0प्र0 टेन्ट व्यापारी एसों, 117 न्यू गॉधी नगर हरिमन्दिर बिल्डिंग, गाजियाबाद।

(आर0के0 श्रीवास्तव)
ज्वाइंट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर मु0।